उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या- 27/2016/सीपी 710/84-2-2016-सीपी 2/2014
लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्री जमाल अख्तर पुत्र श्री इस्लामुददीन, डी-4, आफिसर्स हास्टल, बागपत की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-68/सीपी 1034/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19.11.2014, द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर नियुक्ति की गयी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 19.11.2014 के अनुपालन में श्री जमाल अख्तर द्वारा जिला फोरम, मेरठ में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर दिनांक 02.12.2014 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

2 निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3409/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 69/14, दिनांक 30 अगस्त, 2016 में प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जमाल अख्तर दिनांक 30.04.2016 के पश्चात निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं। इस संबंध में निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्रांक 724/एस0सी0डी0आर0सी0/69/14, दिनांक 17 मई, 2016 एवं 1217/एस0सी0डी0आर0सी0/69/14, दिनांक 22 जून, 2016 द्वारा श्री अख्तर को कारण बताओ नोटिस दी गयी। परन्तु इस कारण बताओ नोटिस का उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- 6803/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 69/14, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 में प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जमाल अख्तर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2016 द्वारा दिनांक 01.05.2016 से 30.06.2016 तक एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2016 के द्वारा दिनांक 01.08.2016 से दिनांक 30.09.2016 तक एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2016 द्वारा दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 30.11.2016 तक का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य आयोग से अनुरोध किया गया। चूंकि श्री जमाल अख्तर दिनांक 18.05.2015 से अनुपस्थित चल रहे थे, जिसमें से दिनांक 18.05.2015 से दिनांक 30.06.2016 तक वेतन रहित अवकाश राज्य आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। परन्तु उक्त श्री अख्तर के निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण उनके उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2016, 29.07.2016 एवं 30.09.2016 को मा0 न्यायमूर्ति/अध्यक्ष, राज्य आयोग ने विचारोपरान्त निरस्त कर दिया है।

3 अत: श्री जमाल अख्तर के दिनांक 30.04.2016 के पश्चात निरन्तर अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप शासन के पत्र संख्या-सीपी 556/84-2-2016-सीपी 2/2014, दिनांक 30.09.2016 द्वारा कारण बताओ नोटिस इस आशय की दी गयी कि उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 3(5)(छ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ के सामान्य सदस्य के पद पर की गयी नियुक्ति शासन द्वारा क्यों न निरस्त कर दी जाय। यह कारण बताओ नोटिस से संबंधित पत्र दिनांक 30.09.2016 उन्हें रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया। इस कारण बताओ नोटिस का श्री जमाल अख्तर द्वारा अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

.....2.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. अत: उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन की अधिसूचना संख्या-68/सीपी 1034/84-2-2014-सीपी 2/2014, दिनांक 19.11.2014, द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर **श्री जमाल अख्तर पुत्र श्री इस्लामुददीन, डी-4, आफिसर्स हास्टल, बागपत की नियुक्ति** को श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निरस्त करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(2) जिलाधिकारी, मेरठ ।
(3) कोषाधिकारी, मेरठ ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, मेरठ। (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) **श्री जमाल अख्तर पुत्र श्री इस्लामुददीन, डी-4, आफिसर्स हास्टल, बागपत** (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।